कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

पत्रांक 2207 / वाद सं0– एल–0022 / एस–डोईवाला / 2025 दिनांक 28/08/ ,2025

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

विपक्षी श्री संजय सुन्द्रियाल ग्राम झबरावाला निकट सुशवा नदी तहसील डोईवाला देहरादून के द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये लगभग 18 बीघा भूमि पर प्लाटिंग हेतु सडक निर्माण के लिए आर.बी.एम डाले जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973) यथा संषोधित अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रकरण में वाद स0– एल–0022 / एस–डोईवाला / 2025 योजित किया गया। प्राधिकरण द्वारा उक्त चालान शुदा अवैध निर्माण को दिनांक 12.06.2025 को ध्वस्त किया जाना था अपरिहार्य कारणों से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नही हो की जा सकी। प्राधिकरण द्वारा पुनः दिनांक 6/9/25 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

पीठासीन अधिकारी / उपजिलाधिकारी,
o/c डोईवाला, देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. नायब तहसीलदार डोईवाला को इस आश्य से प्रेषित कि उक्त तिथि पर ध्वस्त की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु उपस्थित रहे।
2. थानाध्यक्ष डोईवाला को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रिय सहायक अभियन्ताओं / अवर अभियन्ताओं (इलैक्ट्रीकल्स) / समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
4. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को एक वाहन एवं जे0सी0बी मशीन संबंधित सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. श्री संजय सुन्द्रियाल ग्राम झबरावाला निकट सुशवा नदी तहसील डोईवाला देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया जाना है। स्थल पर उपस्थित रहें अपना समान हटा लें। शेष शर्तें पूर्व पत्रांक 619 दिनांक 15.05.2025 के अनुसार मान्य होगी।

पीठासीन अधिकारी / उपजिलाधिकारी,
o/c डोईवाला, देहरादून।





